



उत्तरांचल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-10, डिफेंस कालोनी, देहरादून

फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 999 / 56 / उ.सू.आ. / 2007

दिनांक : 1 / 3 / 2007

प्रेषक,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

सेवा में,

सचिव

सामान्य प्रशासन,

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय— सूचना के अधिकारी अधिनियम की धारा 26 के संबंध में कार्यवाही।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकारियों को समुचित मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु एवं अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गयी है। धारा 26 के उपबंध 3 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है उसके सम्बन्ध में उठाये गये उपायों का भी उल्लेख किया गया है।

अनुरोध है कि इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

तारकेन्द्र वैष्णव

सचिव

प्रतिलिपि—

डॉ० बी०पी० मैथानी, राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तारकेन्द्र वैष्णव

सचिव